

## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005

वर्तमान समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और अशिक्षा से युवा भटक रहे हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 बनाया है। इस अधिनियम के अनुसार सरकार का दायित्व है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग जो काम करने के लिए इच्छुक हैं उन को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार दें।

### राज्य सरकार का दायित्व :-

प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के अन्तराल में एक योजना बनायेगी, इस योजना के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कम से कम 100 दिनों तक रोजगार मिल सके। जब तक यह योजना नहीं बनती तब तक सम्पूर्ण रोजगार योजना अथवा कम के बदले अनजा कार्यक्रम लागू होगा।

### इस अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने के पात्र :-

- वयस्क व्यक्ति (जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो)
- ग्रामीण क्षेत्र के निवासी।
- काम करने के इच्छुक।

### रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

- रोजगार प्राप्त करने के पात्र अपना आवेदन पत्र ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करें, जिस के क्षेत्राधि कार के अन्दर वह निवास करते हैं। इस आवेदन पत्र में वह अपना नाम, पता, उम्र आदि लिखें।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद जांच की जाएगी और जांच के बाद आवेदनकर्ता का पंजीकरण किया जाएगा।
- इसके पश्चात् चयनित व्यक्ति को जॉब कार्ड दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र जमा करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाएगा।

अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे रोजगार प्रदान किये जाएंगे जिनके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी।

### वेतन भुगतान :-

इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत काम करता है, वह मजदूरी का हकदार है। दैनिक मजदूरी या वेतन का भुगतान साप्ताहिक हो सकता है। लेकिन भुगतान 15 दिनों के अन्दर हो जाना चाहिए।

### वेतन निर्धारण :-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में वेतन या मजदूरी का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और यह वेतन अगल-अलग क्षेत्रों में अलग हो सकता है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक न्यूनम भजदूरी अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निर्धारित की गई मजदूरी दी जाएगी। फिर भी मजदूरी 60 रु. प्रतिदिन से कम नहीं हो सकती है।

### बेकारी भत्ता :-

इस अधिनियम के अन्तर्गत बेकारी भत्ता देने का भी प्रावधान है, यदि किसी चयनित बेरोजगार व्यक्ति को आवेदन पत्र जमा करने के 15 दिनों तक रोजगारी नहीं मिलता है अथवा जिस दिन से उसे रोजगार मिलता था, उसके 15 दिनों के पश्चात् भी उसे रोजगार नहीं दिया जाता तो वह बेकारी भत्ता पाने का हकदार होगा। बेकारी भत्ता का भुगतान आवेदन को उसी

दर पर दिया जायेगा, जो राज्य सरकार, राज्य परिषद से परामर्श के बाद निश्चित करेगी।

### **बेकारी भत्ता देने की अवधि :-**

इस अधिनियम के अन्दर बेकारी भत्ता देने का समय भी निर्धारित किया गया है। यह भत्ता कम से कम वर्ष के पहले 30 दिनों की मजदूरी का एक चौथाई होना चाहिए और बाकी साल के वेतन का आधा होना चाहिए।

### **बेकारी भत्ता बन्द किया जा सकता है जब :-**

1. आवेदक को ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा काम पर उपस्थित होने के लिए कहा जाए और वह उस काम का कार्यकाल समाप्त होने तक न पहुंचे।
2. यदि आवेदक के घर के बयस्क लोगों को न्यूनतम 100 दिनों के लिए रोजगार मिल चुका हो।
3. अगर आवेदनकर्ता दिए गए काम को स्वीकार न करता हो।

### **बेकारी भत्ता किसके द्वाक्षरा दिया जाता है :-**

इस अधिनियम के अन्तर्गत बेकारी भत्ते का भुगतान आवेदक को कार्यक्रम या पंचायत, राज्य सरकार के आदेशानुसार करती है। यदि कार्यक्रम अधिकारी किसी कारणों से बेकारी भत्ते का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचना देनी होगी। तत्पश्चात् उपरोक्त के सम्बन्ध में एक नोटिस, भुगतान न कर पाने के सूचना पट पर लगा दिया जाएगा। प्रत्येक राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस अधिनियम के अन्तर्गत बेकारी भत्ते के लिए उचित कार्यवाही करें और जल्द यह भत्ता उपलब्ध करवाएं।

### **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें :-**

1. आवेदनकर्ता कि याचिका कम से कम 14 दिन के रोगजार के लिए होनी चाहिए और अधिकतम 100 दिनों के लिए।
2. जिन आवेदकों को रोजगार दिया जाता है उन्हें लिखित तौर पर इसकी सूचना उनके दिए गए पते पर देनी होती है तथा ग्राम, व जिला पंचायत में इसकी सार्वजनिक सूचना भी देनी चाहिए।
3. रोजगार जहां तक हो सके आवेदक के गांव से ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर के दायरे के अन्दर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ब्लॉक के अन्दर होना चाहिए। इस परिस्थिति में मजदूर को वेतन के अलावा वेतन का 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्राप्त होगा, जिसे वह आने जाने का खर्च पूरा कर सके।
4. मजदूर हफ्ते में 6 दिन ही काम करेंगे।
5. अगर काम करते समय मजदूर को चोट लगती है तो उसका मुफ्त इलाज करवाया जाएगा और घायल व्यक्ति अपने वेतन के अलावा आधा वेतन पाने का हकदार होगा।
6. अगर काम के दौरान व्यक्ति अपांग हो जाये, या उसकी मौत हो जाती है, तो वह 25 हजार रुपये पाने का हकदार होगा।
7. काम के स्थान पर पेयजल, बच्चों के रहने का स्थान, प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध होनी चाहिए। विश्राम का समय भी निर्धारित होना चाहिए।
8. अगर काम के स्थान पर काम करने वाली महिलाओं के बच्चे पांच से अधिक हों तो एक महिला को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यदि का के स्थान पर बच्चों को चोट लग जाए तो उनका मुफ्त इलाज होगा, अपांग होने या मौत हो जाने पर वह हर्जने के हकदार होंगे।
9. अगर वेतन का भुगतान योजना के अनुसार नहीं होता, तो मजदूर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार मुआवजे की मांग कर सकता है।
10. वेतन का भुगतान नकद या उसके बदले किसी वस्तु के रूप में किया जा सकता है, किन्तु एक-चौथाई वेतन का भुगतान

नकद ही होना चाहिए।

## इस योजना का केन्द्रबिन्दु निम्नलिखित कार्यों पर उनकी प्राथमिकता के क्रम में होगा :-

1. जल संरक्षण और जल शास्य संचय,
2. सूखरोधी (जिसके अंतर्गत बनरोपण और वृक्षरोपण हैं)
3. सिंचाई नहरें जिनके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी है।
4. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के स्वामित्वाधीन भूमि के लिए या भूमि सुधार के हिताधि आकारियों की भूमि के लिए या भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविध का उपबंध।
5. पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण जिसके अन्तर्गत तालाबों का शुद्धिकरण भी है।
6. भूमि विकास
7. बाढ़ नियंत्रण संरक्षण संकर्म, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास भी है।

### विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील -

जनपद-

में ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .....

..... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ -

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ

(ग) स्त्री या बालक

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ

(ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक हुआ व्यक्ति।

विनाश की दशाओं के अधीन सताया

(च) औद्योगिक कर्मकार

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें

(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि

(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि

(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्रार्थना/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूँगा/करूँगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -